।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी : नमित मेहता, आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 11/2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोटेन्ट
भवंर कंवर पत्नी फतेहसिंह पुत्री सुआ कंवर स्व. उदयसिंह जाति राजपूत निवासी साबूसिंह का बैरा देवराजगढ तहसील शेरगढ जिला जोधपुर		1. खेतसिंह पुत्र श्री तखतसिंह जाति राजपूत निवासी तेलीवाड़ा तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 2. तहसीलदार भणियाणा

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार भणियाणा के प्रकरण संख्या 1/2018 निर्णय दिनांक 30.04.2018 जिसके तहत गोदनामा के आधार पर ग्राम रायसिंहपुरा का नामान्तकरण संख्या 51, 123, 124/2018 जो खेत सिंह के नाम दर्ज कर स्वीकार किया उसे अपास्त करने बाबत।

उपस्थित :–

01. श्री भगवान सिंह शेखावत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से
02. श्री अब्दुल रहमान मेहर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से
03. तहसीलदार जैसलमेर पैरोकार राज रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 15 जुलाई, 2019

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की माता स्व. सुआ कंवर पत्नी उदयसिंह गांव रायसिंहपुरा तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर की रहवासी रही है। अपीलान्ट के पिता उदयसिंह का निधन जब अपीलान्ट छोटी थी उस समय हो गया था व अपीलान्ट की माता ने ही उसे पाला व उसकी शादी की। अपीलान्ट के अलावा उसकी माता के और कोई पुत्र पुत्री नहीं हैं। अपीलान्ट अपनी माता की पीहर आकर देख भाल करती रही है व बीमारी पर उसका इलाज करवाकर सेवा करती रही है। अपीलान्ट के अलावा उसकी माता स्व. सुआ कंवर के कोई वैद्य उतराधिकारी नहीं है जो पटवारी रिपोर्ट और सरपंच द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता, पेंशन से साबित है। दिसम्बर 2017 में अपीलान्ट की माता बीमार होने पर अपीलान्ट अपनी माता सुआ कंवर के पास आकर रहने लगी व अस्पताल में दिखवा कर इलाज करवाया। दिनांक 23.12.2017 को अपीलान्ट की माता का निधन हो गया उस समय अपीलान्ट अपनी माता के पास थी। अपीलान्ट ने पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ अपनी माता का दाह संस्कार व कियाकम खर्च किया और उसके बाद अपीलान्ट ससुराल चली गई और अपने पैतृक ग्राम आती जाती रही। अपीलान्ट अपनी स्वर्गीय माता की एक मात्र वारिस होने का सरपंच से दिनांक 05.03.2018 को वारिस प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसके बाद अपीलान्ट अपने ससुराल जाती आती रही। अपीलान्ट की माता सुआ कंवर पत्नी उदयसिंह के नाम ग्राम रायसिंहपुरा के खसरा नम्बर 251/1, 252/2, 261/1 में 38.08 बीघा तथा खसरा नम्बर 276 में कुल रकबा 135.04 बीघा में 1/2 हिसा खातेदारी का दर्ज रहा है जिस पर वह स्वयं काश्त करवाकर जीवन यापन करती थी व पुत्री के व अन्य रस्म रिवाज में खर्च कर लेती थी। अपीलान्ट दिनांक 04.06.2018 को अपनी माता का पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र लेकर हल्का पटवारी के पास अपनी माता के नाम दर्ज भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करवाने हेतु गई तब हल्का पटवारी ने उक्त भूमि दिनांक 16.05.2018 को खतेसिंह व भंवर कंवर के नाम 1/2 – 1/2 हिस्सा में नामान्तकरण खोलने व तहसीलदार पोकरण द्वारा दिनांक 18.05.2018 को स्वीकार करने की बात बताई। हल्का पटवारी ने बताया कि दिनांक 30.04.2018 को तहसीलदार पोकरण के निर्णय व उनके आदेश दिनांक 15.05.2018 को नामान्तकरण संख्या 123, 124 दिनांक 18.05.2018 खोले जाकर स्वीकार किये गये है। अपीलान्ट ने तहसीलदार पोकरण द्वारा प्रकरण संख्या 1/2018 में पारित निर्णय, जिसके तहत गोदनामा के आधार पर ग्राम रायसिंहपुरा के नामान्तकरण संख्या 51, 123, 124/2018 से खेतसिंह के नाम भूमि दर्ज की गई है, को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया ।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

अपीलान्ट का कथन है कि तहसीलदार भणियाणा का निर्णय दिनांक 30.04.2018 बिना सही साक्ष्य रिकार्ड पर लिये व अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस दिये व सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा पारित किया गया है, जो अपास्त योग्य है। अपीलान्ट का आगे कथन है कि खेतसिंह अपीलांट के पिता उदयसिंह के भाई नखतसिंह का पुत्र है, जिसे अपीलान्ट की माता ने कभी गोद नहीं लिया था और न ही अपीलान्ट का माता की और से मायरा या अन्य रस्मे रिवाज में शामिल हुआ। पुत्र होने का कोई कार्य खेतसिंह द्वारा नहीं किया गया और अपीलान्ट की माता की सम्पत्ति हड़पने के लिये फर्जी गोदनामा और गवाह तैयार कर मिलीभगत से निर्णय दिनांक 30.04.2018 अपने पक्ष में करवाया है। अपीलान्ट का कथन है कि उसकी माता, सुआ कवंर की मृत्यु दिनांक 23.12.2017 को हुई और दिनांक 11.01.2018 को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ। खेतसिंह ने दिनांक 18.01.2018 को तहसीलदार भणियाणा के समक्ष स्वयं को स्व. सुआ कंवर का गोदपुत्र होने का कथन कर प्रश्नगत भूमि का अपने नाम नामान्तकरण का आवेदन किया व प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 04.07.1996 का अपंजीकृत गोदनामा की छाया प्रति प्रस्तुत की। आवेदन पत्र में गोदनामा रजिस्टर्ड नहीं कराने का कारण कानूनी ज्ञान नहीं होना लिखा। तहसीलदार भणियाणा ने अपने पत्र दिनांक 04.04.2018 द्वारा पटवारी, सरदारसिंह की ढाणी को उक्त अपंजीकृत गोदनामा की छाया प्रति भेजकर जांच रिपोर्ट अपेक्षित की जिसके जबाब दिनांक 10.04.2018 मे हल्का पटवारी ने प्रतिवेदित किया कि प्रश्नगत गोदनामा दिनांक 04.07.1996 को तसदीक हुआ हे और गोदनामा पंजीयन नहीं है। ग्रामवासियों से पूछताछ के आधार पर खातेदार सुआ कंवर के एक जायन्दा पुत्री भंवर कंवर होना बताया गया हैं। पटवारी की जांच रिपोर्ट मे किसी भी ग्रामवासी ने खेतसिंह को अपीलान्ट की माता का गोद पुत्र नहीं बताया। अपीलान्ट का कथन है कि तहसीलदार भणियाणा द्वारा एतराज आमंत्रण की सूचना कहीं चस्पा नहीं की गई व पत्रावली में ही चस्पा करना बताया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि इस सारी कार्यवाही की उसे कोई सूचना नहीं दी गई। प्रश्नगत गोदनामा में खेतसिंह की आयु 25 वर्ष बताई गई है जबकि तहसील भणियाणा में रिकार्ड कराये बयान दिनांक 16.02.2018 में स्वयं को 58 वर्ष का बताया है। दोनो दस्तावेज में 12 वर्ष का अंतर है। गोदनामा में तखतसिंह ने गोद देना बताया है। गवाह कुलदीप व कलैश पोकरण के है, जिन्हें अपीलान्ट नहीं जानती और जो खेतसिंह से मिले हुए हे। अपीलान्ट का कथन है कि खेतसिंह और उसके पिता तखतसिंह ने मिलकर फर्जी गोदनामा बनाया है। अपीलान्ट का आगे कथन है कि खेतसिंह का उदयसिंह का दतक पुत्र होने का रिकार्ड में कहीं उल्लेख नहीं है। राशन कार्ड में सुआ कंवर के साथ खेतसिंह का नाम अंकित नहीं है। बैंक संयुक्त खाता में अपीलान्ट भंवर कंवर का नाम अपनी माता के नाम के साथ दर्ज है। जोब कार्ड, भामाशाह कार्ड में सुआ कवंर के साथ खेतसिंह का नाम दर्ज नहीं है। खेतसिंह का संबंध अभी तक अपने पिता तखतसिंह के साथ ही रहा है। खसरा नम्बर 276 रकबा 135.04 बीघा भूमि का 1/2 हिस्सा तखतसिंह के नाम और 1/2 हिस्सा सुआ कंवर के नाम दर्ज थी। तखतसिंह ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि अपने पुत्रान खेतसिंह, मनोहरसिंह व भगवानसिंह के नाम दर्ज करवाई। अगर खेतसिंह सुआ कंवर के गोद गया होता तो खेतसिंह अपने पिता तखतसिंह की भूमि में हिस्सा लेने का हकदार नहीं था। खेतसिंह ने अपने नेसर्गिक पिता तखतसिंह की भूमि में भी अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करवाया है। तहसीलदार भणियाणा द्वारा प्रकरण संख्या 1/2018 में पारित निर्णय में भी प्रार्थी खेतसिंह की वल्दीयत तखतसिंह होना लिखा है। अपीलान्ट का कथन है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से गोदनामा के तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है और मौका जांच में अपीलान्ट ही मृतक सुआ कंवर ही एक मात्र वारिस है। प्रश्नगत गोदनामा के गवाह कुलदीप ने अपने बयान में गोदनामा की तारीख याद नहीं होना बताया। अपीलान्ट के अनुसार सुआ कंवर गवाह को जानती ही नहीं थी तो साख डालने के लिये, किस लिये कहती। साख के लिये गांव से किसी को ले जाती। गवाहन रायसिंह, गणपतसिंह, चनणसिंह, राणाराम प्रत्यर्थी खेतसिंह के साथ उठते बैठते है, जिन्होने खेतसिंह के कहे अनुसार बयान दिये है। अपीलान्ट ने स्वयं का अपनी माता के साथ आकर रहना और उसकी सेवा करना, खेतसिंह और उसके भाईयों द्वारा कभी कोई सेवा नहीं करना व सुआ कंवर की मृत्यु उपरान्त उसकी भूमि हड़पने की नीयत से फर्जी गोदनामा तहरीर बताकर मिलावट से प्रश्नगत आदेश पारित करवाकर प्रश्नगत नामान्तकरण स्वीकृत कराये है, जिनको अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

अपील प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के संबंध में अपीलान्ट प्रार्थी ने धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र व उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 30.04.2018 व नामान्तकरण दिनांक 18.05.2018 की जानकारी मिलते ही नकलों हेतु आवेदन करने व दिनांक 02.07.2018 को नकलों की प्राप्ति पर अपील प्रस्तुतीकरण दिनांक 16.07.2018 को की गई जिसके लिये कारित विलम्ब को क्षम्य कर अपील समयावधि में शुमार की जाये।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट की जानकारी पर संबंधित दस्तावेजो की नकले दिनांक 02.07.2018 को प्राप्त होने पर दिनांक 16.07.2018 को अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब का शमन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निर्णित किया जाना निश्चित किया जाता है। अधिक्ता अपीलान्ट का तर्क है कि दिनांक 18.05.2018 को नामान्तकरण दर्ज होकर स्वीकार कर दिये गये। अपीलान्ट की माता के देहान्त के बाद प्रत्यर्थी के नाम से भर दिये गये। अपीलांट के माता के एक ही औलाद अपीलांट थी। गोदनामा के आधार पर भूमि गलत रूप से खेतसिंह के नाम दर्ज कर दी। प्रत्यर्थी खेतसिंह हर जगह अपने आप को तखतसिंह का पुत्र होना लिखता है न कि मृतका सुआ कंवर पत्नी उदयसिंह का पुत्र बताता है। अधिवक्ता अपीलान्ट का तर्क है कि अपंजीकृत गोदनामा के आधार पर प्रत्यर्थी के नाम भूमि गलत दर्ज कर दी है, जिसे अपास्त कर दिया जाये। अधिवक्ता प्रत्यर्थी का तर्क है कि हस्तगत अपील नामान्तकरण अपील नहीं होकर गोदनामा पर तहसीलदार भणियाणा द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील है। तहसीलदार भणियाणा द्वारा की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण संबंधित पत्रावली में लगी हुई है। ग्राम पंचायत ने भी गोदनामे को ठीक बताया है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी का तर्क रहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में क्या अवैधता (illegality) है, अपील में नहीं बता पाए है। उनका आगे तर्क रहा कि गोदनामा का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है जैसा कि 2013 DNJ (SC) 51 में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2012 द्वारा अवधारित किया गया है। उनका आगे तर्क रहा कि यदि गोदनामा फर्जी है तो इस संबंध में एफ.आई.आर. क्यों नहीं दर्ज करवाई गई। अधिवक्ता नोटेरी ने दस्तावेज ठीक होना बताया है। खण्डन में अधिवक्ता अपीलान्ट का तर्क रहा कि हिन्दू एडपशन एण्ड मेंटीनेंस एक्ट में गोदनामा पंजीकृत होना आवश्यक है। दतक लेने वाले की जायन्दा पुत्र/पुत्री को गोद लेने की जानकारी होना आवश्यक है। अपीलान्ट भंवर कंवर को प्रश्नगत पूरी कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया है। न्यायहित में अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब का शमन किया जाकर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित करना युक्तियुक्त ठहरता है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत नामान्तकरण को अपास्त करने के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्को के आधार पर प्रश्नगत नामान्तकरण पोषणीय नहीं ठहरता। विवेचित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत नामान्तकरण अपास्त करने संबंधी अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 51, 123, 124/2018 अपास्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार भणियाणा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मृतक की खातेदारी भूमि का नामान्तकरण करने के संबंध में दावेदारों की समुचित जांच करे व प्रकरण में उतराधिकार प्रमाण पत्र वांछनीय होने की स्थिति में संबंधित पक्षकार को इसे सक्षम न्यायालय से प्राप्त कर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाए। इन सभी सुसंगत बिन्दुओं पर जांच के उपरान्त प्रकरण में विधि सम्मन निर्णय लेकर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करे।

निर्णय आज दिनांक 15–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता) 15/7/19
जिला कलक्टर
जैसलमेर